प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.07.2025

गैंगस्टर अभियुक्तगण 1. राजीव कुमार चौहान पुत्र हरीश कुमार निवासी म0नं0 डी-143 गौर होम्स सोसाइटी गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद/फ्लैट नं0 201 के0एम0 रेजीडेन्सी राजनगर एक्सटेंशन नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद स्थायी पता मं0नं0 2 गली नं0 1 ग्राम व पोस्ट कांगडी गुरु सीताराम की कुटिया के पास थाना श्यामपुर जिला हरिद्वार(उत्तराखण्ड) 2. सुनीता चौहान पत्नी हरीश कुमार निवासी फ्लैट नं0 201 के0एम0 रेजीडेन्सी राजनगर एक्सटेंशन नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद 3. नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर नि0 139 चमन कालोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद की तीन करोड़ दस लाख(3,10,00,000/-) रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय श्री जे. रविन्द्र गौड के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.07.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित शातिर गैंगस्टर अभियुक्तगण **1.** राजीव कुमार चौहान पुत्र हरीश कुमार निवासी म0नं0 डी-143 गौर होम्स सोसाइटी गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद/फ्लैट नं0 201 के0एम0 रेजीडेन्सी राजनगर एक्सटेंशन नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद स्थायी पता मं0नं0 2 गली नं0 1 ग्राम व पोस्ट कांगडी गुरु सीताराम की कुटिया के पास थाना श्यामपुर जिला हरिद्वार(उत्तराखण्ड) **2.** सुनीता चौहान पत्नी हरीश कुमार निवासी फ्लैट नं0 201 के0एम0 रेजीडेन्सी राजनगर एक्सटेंशन नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद **3.** नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर नि0 139 चमन कालोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद की तीन करोड़ दस लाख(3,10,00,000/-) रुपये की चल/अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया।

जब्त अचल सम्पत्ति का विवरण – अभियुक्तगण राजीव कुमार चौहान व सुनीता चौहान से सम्बन्धित

खसरा नं0 149	ग्राम कांगडी परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार, बाहर सीमा नगर निगम हरिद्वार	अनुमानित कीमत- तीन करोड(3,00,00,000/) रुपये

जब्त चल सम्पत्ति का विवरण – अभियुक्ता नाजिया से सम्बन्धित

रजिस्ट्रेशन नं0	वाहन का प्रकार	अनुमानित कीमत	वाहन स्वामी का नाम
UP 14 FX 2809	टोयोटा गलेन्जा	10 लाख	फैजल अख्तर (नाजिया अख्तर का भाई)

- गैंगस्टर अभियुक्त राजीव कुमार चौहान पुत्र हरीश कुमार निवासी म0नं0 डी-143 गौर होम्स सोसाइटी गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद/फ्लैट नं0 201 के0एम0 रेजीडेन्सी राजनगर एक्सटेंशन नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद स्थायी पता मं0नं0 2 गली नं0 1 ग्राम व पोस्ट कांगडी गुरु सीताराम की कुटिया के पास थाना श्यामपुर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	कमिश्नरेट
1	2033/2019	420/406/467/468/471 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
2	परिवाद सं0-304/2021	138 एनआई एक्ट	कविनगर	गाजियाबाद
3	परिवाद सं0 – 1495/2022	138 एनआई एक्ट	कविनगर	गाजियाबाद
4	508/2023	420/406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
5	832/2024	406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
6	107/2025	2/3 गैंगस्टर अधि0	कविनगर	गाजियाबाद

- गैगस्टर अभियुक्ता सुनीता चौहान पत्नि हरीश कुमार निवासी फ्लैट नं0 201 के0एम0 रेजीडेन्सी राजनगर एक्सटेंशन नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	कमिश्नरेट
1	परिवाद सं0 – 1495/2022	138 एनआई एक्ट	कविनगर	गाजियाबाद
2	508/2023	420/406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
3	832/2024	406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
4	107/2025	2/3 गैंगस्टर अधि0	कविनगर	गाजियाबाद

- गैंगस्टर अभियुक्ता नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर नि0 139 चमन कालोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	कमिश्नरेट
1	508/2023	420/406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
2	832/2024	406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
3	107/2025	2/3 गैंगस्टर अधि0	कविनगर	गाजियाबाद

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई ज्वैलरी पीली धातु का 01 मंगलसूत्र, 02 चेन, 01 अगूँठी, 01 टीका, 05 लौंग, सफेद धातु की 03 जोडी पायल, 03 जोडी बिछिया व घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो बरामद।

दिनांक 18.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया की तहरीर के आधार पर अज्ञात ऑटो चालक द्वारा वादिया के बैग से ज्वैलरी व पैसे चोरी कर लेने के सम्बन्ध में धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 27.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 04 अभियुक्त 1. दीपक पुत्र चन्दर किशोर निवासी म0न0 294 पूजा कॉलोनी मगल बाजार

लोनी उम्र करीब 43 वर्ष, 2. आलम पुत्र गफ्फार निवासी सी 79 लक्ष्मी गार्डन लोनी उम्र करीब 38 वर्ष, 3. फिरोज पुत्र शमशाद निवासी सी 375 लक्ष्मी गार्डन लोनी उम्र करीब 33 वर्ष व 4. सोहेल पुत्र शमशाद निवासी सी 375 लक्ष्मी गार्डन लोनी उम्र करीब 22 वर्ष को वी केयर हॉस्पिटल कट बजीराबाद सर्विस रोड़ शालीमार गार्डन से चोरी की हुई ज्वैलरी पीली धातु का 01 मंगलसूत्र, 02 चेन, 01 अगूँठी, 01 टीका, 05 लौंग, सफेद धातु की 03 जोडी पायल, 03 जोडी बिछिया व घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चारों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार चारों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद ज्वैलरी को चारों अभियुक्तों ने 8-10 दिन पहले वादिया के बैग से चोरी किया था। वादिया को चारों अभियुक्तों ने रेलवे स्टेशन के पास से लोनी के लिए बैठाया था। चारों अभियुक्तों ने वादिया के बैग से ज्वैलरी चोरी कर वादिया को करन गेट चौकी के पास खाली जगह पर छोड़कर भाग गए थे। चोरी किये गए कुछ सामान को अभियुक्तों ने राह चलते हुए व्यक्ति को 3,500/- रु0 में बेचकर दिया था। बाकी बचे हुए सामान को चोरों अभियुक्त बेचने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. दीपक पुत्र चन्दर किशोर निवासी म0न0 294 पूजा कॉलोनी मगल बाजार लोनी उम्र करीब 43 वर्ष।
2. आलम पुत्र गफ्फार निवासी सी 79 लक्ष्मी गार्डन लोनी उम्र करीब 38 वर्ष।
3. फिरोज पुत्र शमशाद निवासी सी 375 लक्ष्मी गार्डन लोनी उम्र करीब 33 वर्ष।
4. सोहेल पुत्र शमशाद निवासी सी 375 लक्ष्मी गार्डन लोनी उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की हुई ज्वैलरी पीली धातु का 01 मंगलसूत्र, 02 चेन, 01 अगूँठी, 01 टीका, 05 लौंग, सफेद धातु की 03 जोडी पायल, 03 जोडी बिछिया व घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार चारों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध रायफल व कारतूस 315 बोर बरामद।

आज दिनांक 28.07.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त साबिर पुत्र भूरु निवासी ग्राम खौराजपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को

चौकी रावली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध एक रायफल 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि जो रायफल मुझसे बरामद हुई हैं, मैंने ये रायफल लोगों में अपना रौब दिखाने के लिए अपने पास रखी हुई थी। आज मैं इसे लेकर जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

साबिर पुत्र भूरु निवासी ग्राम खौराजपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

अवैध 01 रायफल 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 27/28.07.25 की रात्रि में थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गब्बर पुत्र दिनेश कुमार निवासी बाल्मिकी मंदिर के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को डाबर तिराहे के पास से 01 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गब्बर पुत्र दिनेश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गब्बर पुत्र दिनेश कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त बिहार का रहने वाला है और ग्राम महाराजपुर में किराये पर कमरा लेकर रहता है। अभियुक्त बरामद अवैध गांजे को कम दामों पर दिल्ली से खरीदकर लाता है और थाना लिंकरोड़ के महाराजपुर क्षेत्र में गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर अधिक कीमत पर आते-जाते लोगों को बेचता है। जिसे पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव कुमार उर्फ गब्बर पुत्र दिनेश कुमार निवासी बाल्मिकी मंदिर के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गब्बर पुत्र दिनेश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा केबल चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को मय चोरी किये गये केबिल सहित हिरासत में लिया गया।

दिनांक 27.07.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा सौंदा रोड मोदीनगर पर स्थित इंडस कम्पनी के टावर से केबल चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. आकाश ठाकुर पुत्र अशोक तोमर निवासी ग्राम सासनी गेट भोजपुरा चौराहा जिला अलीगढ उम्र करीब 29 वर्ष 2. आकाश सिह पुत्र अशोक सिंह निवासी जयानगर थाना मधुबनी जिला दंरभगा बिहार उम्र करीब 22 वर्ष को मय चोरी किये गये केबिल सहित हिरासत में लिया गया तथा न्यायिक हिरासत में भेज गया है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर धारा- 331(3)/305/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगणों ने उक्त घटना कारित करने का इकबाल किया गया, अभियुक्तगणों ने बताया कि हम दोनों साथ मिलकर टावर से केबल चोरी कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. आकाश ठाकुर पुत्र अशोक तोमर निवासी ग्राम सासनी गेट भोजपुरा चौराहा जिला अलीगढ, उम्र करीब 29 वर्ष
2. आकाश सिह पुत्र अशोक सिंह निवासी जयानगर थाना मधुबनी जिला दंरभगा बिहार, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

12 मीटर केबल (चोरी किये गये)

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा इंस्टाग्राम के जरिये हनीट्रैप कर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाली एक अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से हनीट्रैप के जरिये ब्लैकमेल कर प्राप्त किये हुये 40,200/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 27.07.2025 को वादी शाहनवाज पुत्र हाजी इसरार निवासी 4/3 सैक्टर 2 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर एक अभियुक्ता उजमा मलिक द्वारा वादी के भाई आकिब से इंस्टाग्राम के जरिये हनीट्रैप कर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 10 लाख रूपये की मांग की थी। जिसमें वादी व वादी के भाई आकिब से 3,50,000/- रूपये लेने के सम्बन्ध में धारा 308(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 28.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर इंस्टाग्राम के जरिये हनीट्रैप कर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाली एक अभियुक्ता उजमा मलिक पुत्री सैफुद्दीन निवासी 2795 निजामुद्दीन छोले वाली गली दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष को खेतान स्पोर्टस कॉम्पलेक्स के पास प्रेम गली शालीमार गार्डन से हनीट्रैप के जरिये ब्लैकमेल कर प्राप्त की हुये 40,200/- रूपये व घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 308(5) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्ता उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्ता उपरोक्त ने वादी के भाई आकिब से इंस्टाग्राम के जरिये दोस्ती की तथा उसे मिलने के बहाने अपने जाल में फंसाया। जिसके बाद वादी के भाई आकिब से इंस्टाग्राम के जरिये हनीट्रैप कर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 10 लाख रूपये की मांग की थी। जिसमें अभियुक्ता ने शाहनवाज व उसके भाई आकिब से 3,50,000/- रूपये ले लिये थे। जिसमें से 3,10,800/- रूपये अभियुक्ता ने खर्च कर दिये। शेष बचे हुए 40,200/- रूपये अभियुक्ता से बरामद हुए है। अभियुक्ता आज शेष बचे हुए 6,50,000/- रूपये लेने आयी थी कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

उजमा मलिक पुत्री सैफुद्दीन निवासी 2795 निजामुद्दीन छोले वाली गली दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

हनीट्रैप के जरिये ब्लैकमेल कर प्राप्त की हुये 40,200/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर हनीट्रैप कर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।